>

Title: Regarding law and order situation in Jharkhand.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं झारखण्ड राज्य की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। जिस समस्या के बारे में मैं बताना चाहता हूं, उससे आप वाकिफ हैं क्योंकि आपके दामाद इस समस्या से खुद प्रभावित रहे हैं, वे घायल हुए हैं, किसी तरह से उनकी जान बची है। वर्तमान में झारखण्ड तीन समस्याओं से परेशान है- नक्सलवाद, बंगलादेशी घुसपैठियों का आतंक और बलात्कार की घटनाओं का निरंतर बढ़ना। ये तीनों समस्याएं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। दुमका में, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां नक्सलियों द्वारा पाकुड़ के एस.पी. की हत्या हो जाती है। छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवादी एस.पी. को मार देते हैं, तो वहां एन.आई.ए. की टीम भेजी जाती है, लेकिन झारखण्ड में नहीं भेजा जाता है। हमारे यहां अभी इलैक्टोरल रोल चल रहा है, जिसमें अचानक कहीं 60 प्रतिशत, तो कहीं 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं हो पा रहा है कि ये बढ़ोतरी कैसे हो रही है?

सभापति महोदय, दिल्ली और मुम्बई में यदि कोई घटना घटती है, तो उसके लिए यह सदन काफी कंसर्न हो जाता है क्योंकि मीडिया इसे बहुत हाईलाइट करती है। हमारे यहां देवघर में दो लड़कियों, एक बारह वर्ष की और दूसरी चौदह वर्ष की, का पुलिस लाइन में सो-कॉल्ड पुलिस वालों के द्वारा रेप हो जाता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। राज्य सरकार ने सी.बी.आई. जांच हेतु रिकमेंडेशन किया है, डेढ़ महीने हो गये हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। लातेहार में एक महिला पुलिस कांस्टेबल का रेप हो गया है, वह एक लाश लेकर जा रही थी, यह अभी 15 दिन पहले की घटना है। हजारीबाग में एक पुलिस वाले के बेटे ने एक लड़की का रेप कर दिया। हमारे यहां पाकुड़ में पहाड़िया जनजाति है, जो प्रिमिटिव ट्राईबल ग्रुप (पी.टी.जी.) के अंतर्गत है, उनका लोप हो रहा है, 25 लड़कों ने मिलकर इस जनजाति की चार लड़कियों का रेप किया है।

सभापति महोदय, नक्सलवाद, बंगलादेशी घुसपैठ और बलात्कार जैसी घटनाएं, जो झारखण्ड में घटित हुई हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। मैं 5 अगस्त से इस पर बोलने का प्रयास कर रहा था, आज आपकी कृपा से बोलने का मौका मिल गया। इसलिए इस संबंध में, मैं केन्द्र से मांग कर रहा हूं, क्योंकि आप जो रॉयल्टी के नाम पर पैसा देते हैं, वह केवल सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. की बटालियन के रख-रखाव पर खर्च होता है। हम जो नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। यही कारण है कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य इससे जल गये हैं, नीचे चले गये हैं, उनका काफी पैसा लग गया है, इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार चेयर से होता है, नक्सलवाद, बलात्कार और घुसपैठ की घटनाओं पर और झारखण्ड के लॉ एंड ऑर्डर पर केन्द्र सरकार या गृह मंत्रालय एक सरकुलर जारी करे और वहां के जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, उनके कल्याण के लिए काम करे।

सभापति महोदय : आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन यह विषय कानून-व्यवस्था का है। इसलिए यह राज्य के विषय की परिधि में है।

श्री निशिकांत दुबे : यह राष्ट्रपति शासन के समय की बात है।

सभापति महोदय : निशिकांत दुबे जी, जब आप कोई विषय उठाते हैं, तो सरकार संज्ञान लेती है और सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार बैठी हुई है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं श्री निशिकांत दुबे जी द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।